

## जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्रालियर

इसका पत्र अध्यक्षर कुलपति जीवाजी  
 विश्वविद्यालय के लिए हो रही विज्ञा वार्ता से  
 कि विज्ञा जनन विभागिता द्वारा दी गई है।  
 लक्षणिक विवर यह है कि वहाँ में प्र  
 वकार कुलपति ने तो एवं उच्चालय के विभाग  
 भाग विज्ञा वार्ता विभाग की तरफ से दी गई है।



मात्र : जीवाजी  
 फ़ोनमार्ग : (0751) 2241896  
 (0751) 2442899  
 फ़ैक्स : (0751) 2241768

प्रेषक :  
 जीवाजी विश्वविद्यालय  
 ग्रालियर  
 क्रमांक/एफ़ा/नक्काशा/2012/5440

दिनांक: २९/१०/१२

### // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्रालियर से सम्बद्ध भारतीय विज्ञा अधिकारी अौर मैनेजरेन्ट एज्युकेशन, ग्रालियर (0751-4081718) को सब 2011-12 एवं 2012-13 के लिये प्रत्यक्षिकासंचयिता जी एल पाठ्यपाठ्य  
 कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की आवश्यकी रागवलता तेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति नहोदव/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्रालियर वे विश्वविद्यालय अधिकारीम 1973 के परिवेष्यम 27(10) के अन्वर्गत विस्मानुआट विरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. विरेक गुणट, आवार्य, सनाजकार्य एवं आजीवन विज्ञा अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्रालियर। (संयोजक)  
 (0751-2442821)
- (2) प्रो. एस के. सिंह, आवार्य, गणित एवं प्रबोध अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्रालियर।
- (3) डॉ. डी.एल. बादल, व्याख्याता, सांख्यिकी विज्ञा गणितशाला, ग्रालियर।

विरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवेष्यम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप भागविद्यालय का प्रत्यक्ष विरीक्षण एवं शुल्क, वरेहर राशि, नाइट शैक्षणिक/अडीशैक्षणिक स्टॉफ़, प्रायोकृत संस्था ते प्राप्त अनुभाव/विवादपत्र प्रमाण-पत्र, भगव, एडीए परिवर्त एवं पाठ्यक्रम/आर्किवलता तथा विभिन्न अवधि शर्तों की पूर्ति ग्राह कराने पत्र के तथा प्राप्तार्थी शैक्षणिक स्टॉफ़ की विस्मितियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण-अनुशंसाएँ अंकित करें।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26 सितारब 2012 को पद इनांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये विश्वविद्यालय के अनुरूप भागविद्यालय का विरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कायालय में विरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। विरासे कि भाग्यूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय विरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण से लक्षणी एवं महाविद्यालय वे विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं यथा लग्ज सम्बद्धा संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी तथा शासन के लिये विवरण दिया जा सकेगा।

ग्राह के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की दिवारी में यह भावा जाएगा कि भागविद्यालय का विरीक्षण नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय अर्थात् जना कराकर बरीब समिति नहिं की जावेगी। जिसे 15 दिवस जै विरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिवेष्यम 27(11)(7) के अनुसार रागवलता प्राप्त किए विज्ञा आजीवे को प्रवेश देना अवैधिक है।

विरीक्षण समिति के द्वारा सम्बद्धता शाखा में कार्बरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक प्रशासनी दीपन जावेने तथा महाविद्यालय की वस्तुविषयी से विरीक्षण गणिति को जगत लावें। विरीक्षण समिति ने सदस्यों के दीप. / डी.ए. / सुनदेव भागविद्यालय द्वारा देय होगा।

#### प्रतिलिपि :-

1. लग्ज सदस्यों जी और सूतावार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्रावार्य/अध्यक्ष, संबंधित भागविद्यालय की ओर ब्रेजकर आग्रह है कि समिति ने संचोकन से संपर्क स्थापित कर लिया। दिनांक जिम्मीदार कर महाविद्यालय का विरीक्षण करावें। उक्त विरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आगुक्त तत्व विज्ञा, सतापुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के लिये सांख्यक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्रालियर

सहायक कुलपति (सम्बद्धता)